संख्या-14-2024-1842-57-24-758-2023

प्रेषक,

लक्ष्मण राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य निदेशालय,
उ0प्र0 वाराणसी।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग लखनऊ : दिनांक 09 सितंबर, 2024

विषय:- **जनपद अयोध्या में श्रीराम मंदिर के समीप स्थित रामकोट एवं कटरा में मैकेनाइज्ड स्मार्ट पार्किंग के निर्माण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (तकनीकी सेल), ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-1183/पार्किंग अयोध्या/तकनीकी सेल/2023, दिनांक 10.01.2024 (प्रति संलग्न) एवं पत्र संख्या-1646/ई0पी0सी0 परियोजना/तकनीकी सेल/2024, दिनांक 07.03.2024 (प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि जनपद अयोध्या में श्रीराम मन्दिर के समीप स्थित रामकोट एवं कटरा में मैकेनाइज्ड स्मार्ट पार्किंग के निर्माण हेतु मुख्य अभियन्ता (तकनीकी सेल) ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग के पत्र दिनांक 10.01.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के अनुसार फेज-ए के अन्तर्गत प्रस्तावित पार्किंग निर्माण के कान्सेप्ट प्लान पर सक्षम स्तर के अनुमोदनोंपरान्त फेज-ए के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित एवं व्यय-वित्त समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि रू0 6504.34 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त की 35 प्रतिशत धनराशि रू0 2276.519 लाख को पूर्णांकित करते हुए धनराशि रू0 2276.52 लाख (रूपये बाइस करोड़ छिहत्तर लाख बावन हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती है:-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) प्रायोजना की लागत रू0 50.00 करोड़ से अधिक होने के कारण वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों के अनुसार प्रायोजना का निर्माण कार्य ई०पी०सी० मोड पर कराया जाना है। अतः प्रश्नगत प्रायोजना के सम्बन्ध में ई०पी०सी० मोड की समस्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित वाह्य विद्युत संयोजन हेतु रू0 56.45 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। निदेशक, धर्मार्थ कार्य विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा विद्युत संयोजन हेतु विस्तृत आगणन यू०पी०पी०सी०एल० से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर भुगतान किया जाय।

(3) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० अलग से सम्मिलित न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत् मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं /डिजाइन एवं ड्राइंग को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कन्सल्टेन्ट/निदेशक, धर्मार्थ कार्य विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

(5) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(6) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप निदेशक, धर्मार्थ कार्य विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण / सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(7) प्रायोजना प्रस्ताव /आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, धर्मार्थ कार्य विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) कार्यदायी संस्था द्वारा ई0पी0सी0 मोड पर निर्माण कार्य कराए जाने हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 19 अक्टूबर,2023 व अन्य सुसंगत शासनादेशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) कार्यदायी संस्था द्वारा पी0एफ0ए0डी0/व्यय वित्त समिति की शर्तो का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(12) प्रश्नगत कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय/ कार्यदायी संस्था की होगी तथा वह यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें तथा भविष्य में प्रयोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नही होगा।

(13) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग यथास्थिति प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग की शर्तो एवं निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(14) निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय द्वारा समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापरक कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(16) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(17) लेबरसेस के भुगतान की कार्यवाही अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जायेगी।

(18) अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो , इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212-(vii) में दिए गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(20) कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04 मार्च,2024 का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(21) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

(22) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का कार्यदायी संस्था द्वारा यदि कोई ब्याज अर्जित किया जाता है, तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(23) स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण निदेशक, धर्मार्थ कार्य विभाग, उ0प्र0 वाराणसी/आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदधारक द्वारा कोषागार वाराणसी से किया जायेगा। आहरण के उपरान्त धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 22,76,52,000 (रुपये बाईस करोड़ छिहत्तर लाख बावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 084 **लेखा शीर्षक** 4250008000800 अयोध्या में पब्लिक एम्नेटीज एवं पार्किंग तथा जनसुविधा का विकास **मानक मद** 24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न **संख्या-E-5-60-X-2024-25, दिनांक-06.09.2024** में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लक्ष्मण राम)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-14-2024-1842-57-24-758-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
4- जिलाधिकारी, वाराणसी/अयोध्या।
5- मुख्य अभियन्ता (तकनीकी सेल), ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग, लखनऊ।
6- नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या।
7- उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।
8- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी/अयोध्या।
9- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता, अयोध्या परिक्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या।
11- अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या।
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन।
13-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण राम)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।